उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-21/2019/367/92-2-19-34जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 07 फरवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय हाईस्कूल टाण्डा अफजल के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य अभियंता (प0क्षे0) की जॉच आख्या दिनांक 26-12-2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 66,735.67 एवं संभावित क्षति रू0 60,291.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री आफताब अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-118/ 2018/2133 /92-2-18-34जांच/2018 दि0 14-08-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद को पदेन जॉच अधिकारी एवं प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद के पत्र सं0-1137/ ग्रा0अ0वि0/एस0टी0 /जांच श्री आफताब अहमद खॉ/2018-19 दि0 05-12-2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एकमात्र आरोप स्थापित नही पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री आफताब अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री अहमद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 14-08-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-71 /2019/367/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

2- श्री आफताब अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुरादाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।